अनुसूची 21 – प्रपत्र संख्या 113

सम्पत्ति–अवभार प्रमाणपत्र

प्रमाण पत्र सं0 399/19 19 आवेदन सं0 400/ 2019

चूंकि श्री रविन्द्र कु० शर्मा पिता स्व० हरिहर प्र० शर्मा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा नवादा आवेदन किया है कि निम्नलिखित सम्पत्ति के संबंध में चिन्हित और दावेदारोंका अविवरण प्रमाण पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले सम्पदाओं और सबभारों के बारे में वही 1 में और उससे सम्बद्ध अनुश्रवियों में ता0 1990 से 20 से ता0 5.8.19 20 तक सरकारी सम्पत्ति और पंजी सम्बन्धी के साथ निम्न सम्भवहारों और अवधारों का पता चला है:–

क्रम संख्या	(क) सम्पत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं0	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मौजा	थाना	खाता	प्लॉट	रकबा				
नवादा	367	74	3106	0.05 1/2				
				0.05 1/2	8 रु0			

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) 1. ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। जिससे कि इसके बारे में उल्लेख हो।

2. अवधि और वार्षिक ब्याज दर्ज करें।

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि शपथ–पत्र संव्यवहारों और अवभार में दिए गए अचल सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारी और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की और प्रमाण पत्र तैयार किया :–

(हस्ताक्षर) :– Rajiv Ranjan Senha

(पदनाम) :– निम्न वर्गीय लिपिक

तलासी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जांच निम्न व्यक्ति ने की

(हस्ताक्षर) :– [signature]

(पदनाम) :– उच्च वर्गीय लिपिक

कार्यालय :– जि० अ० नि० नवादा

तारीख 10 - 8 . 2019 मुहर

कार्यालय जिला अवर निबंधक नवादा सत्यमेव जयते

युक्त विधा

(i) (ii) 620/-

जि० अ० नि० नवादा

10 . 8 . 19

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर।

टिप्पणी :– इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहारों और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा सभी प्रस्तुत सम्पत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं संपत्तियों को निबन्धित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसे दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहारों (ट्रान्जेक्शन) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(2) निबन्धन अधिनियम की धारा 17 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाणपत्रों की जरूरत हो उन्हें तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके सामने रद्द हो जायेगी।

(क) किन्तु, चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिए कार्यालय में अपेक्षित तलासी अपने परसन सावधानी से की है। फिर भी, विभाग प्रमाणपत्र में लिये गये तलासी परिभाग की किसी शुरू के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(ख) और, चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है और चूंकि उसके द्वारा ढूँढे गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण–पत्र में दिया गया है। इसलिए विभाग आवेदक द्वारा व ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की पक्ष के किसी किसी_____ उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

बिहार गवर्नमेंट प्रेस, गया।

अनुसूची 21 – प्रपत्र संख्या 113

सम्पति–अवभार प्रमाणपत्र

प्रमाण पत्र सं० 402/19 19 आवेदन सं० 403/20 19

चूंकि श्री शैलेन्द्र कुमार पिता स्व० हरिहर प्र० धर्मी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा नवादा ने लिखा है कि निम्नलिखित सम्पति के संबंध में चिन्हित और दावेदारोंका अविवरण प्रमाण पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त सम्पति को प्रभावित करने वाले सम्पदाओं और सभारों के बारे में यही 1 में और उससे सम्बद्ध अनुश्रवियों में ता० 1990/10 से ता० 5.8.19 20 तक सरकारी सम्पति और पंजी सम्बन्धी के साथ निम्न सम्भवहारों और अवधारों का पता चला है:–

क्रम संख्या	(क) सम्पति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं०	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मौजा	थाना	खाता	प्लॉट	रकबा				
नवादा	367	74	3106	0.05½				
				0.05½				

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) 1. ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। जिससे कि इसके बारे में उल्लेख हो।

2. अवधि और वार्षिक ब्याज दर्ज करें।

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि शपथ–पत्र संव्यवहारों और अवभार में दिए गए अचल सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की और प्रमाण पत्र तैयार किया :–

(हस्ताक्षर) :– Rajiv Ranjan Sentha

(पदनाम) :– निम्न वर्गीय लिपिक

तलासी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जांच निम्न व्यक्ति ने की

(हस्ताक्षर) :– [signature]

(पदनाम) उच्च वर्गीय लिपिक

कार्यालय :– जि० अ० नि० नवादा

तारीख 10 – 8 - 2019 मुहर

शुल्क चिमा
ब (i) (ii) 620/-

कार्यालय जिला अवर निबंधक
सत्यमेव जयते
नवादा

जि० अ० नि० नवादा
10.8.19
निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी :– इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहारों और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा सभी प्रस्तुत सम्पत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं संपत्तियों को निबन्धित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसे दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहारों (ट्रान्जेक्शन) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(2) निबन्धन अधिनियम की धारा 17 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाणपत्रों की जरूरत हो उन्हें तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके सामने रद्द हो जायेगी।

(क) किन्तु, चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिए कार्यालय में अपेक्षित तलासी अपने परसन सावधानी से की है। फिर भी, विभाग प्रमाणपत्र में लिये गये तलासी परिभाग की किसी शुरू के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(ख) और, चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है और चूंकि उसके द्वारा ढूँढे गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण–पत्र में दिया गया है। इसलिए विभाग आवेदक द्वारा व ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की पक्ष के किसी किसी _____ उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

बिहार गवर्नमेंट प्रेस, गया।

अनुसूची 21 – प्रपत्र संख्या 113

401/19

सम्पत्ति–अवभार प्रमाणपत्र

प्रमाण पत्र सं0 _____ 19

चूंकि श्री अशोक कु० सिंह पिता स्व० हरिहर प्र० शर्मा 402/19

सम्पत्ति के संबंध में निम्नित और दावेदारोंका अधिवरण प्रमाण पत्र दिया जाय। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण में) शाखा नवादा

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले सम्पदाओं और सहभारों के बारे में दफा 1 में और उससे सम्बद्ध अनुश्रुचियों में तारीख 1990 से तारीख 5.8.19 20 तक सरकारी सम्पत्ति और पंजी सम्बन्धी के साथ निम्न सम्भवहारों और अवधारों का पता चला है–

क्रम संख्या	(क) सम्पत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रतिलिपि के प्रति निदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं0	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मौजा	आना	खाता	प्लॉट	रकबा				
जवादा	367	74	3106	0.05 1/2				
				1				
				0.05 1/2				

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) 1. ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। जिससे कि इसके बारे में उल्लेख हो।

2. अवधि और वार्षिक ब्याज दर्ज करें।

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि सत्यता–पत्र संव्यवहारों और अवधार में दिए गए अवर सम्पत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवधार का पता नहीं चला है।

निम्न अंकित ने तलाशी की और प्रमाण पत्र तैयार किया :–

(हस्ताक्षर) :– Qais Raman Lakra

(पदनाम) :– निम्न वर्गीय लिपिक

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जांच निम्न अंकित ने की

(हस्ताक्षर) :– [illegible]

(पदनाम) उच्च वर्गीय लिपिक

कार्यालय :– जि० अ० नि० नवादा

तारीख 10 - 8 · 2019 मुहर

पुनः दिया
चयन दिनांक 20/

जि० अ० नि० नवादा
10 · 8 · 19
निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर।

टिप्पणी :– इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहारों और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा सभी प्रस्तुत सम्पत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं संपत्तियों को निबन्धित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो ऐसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहारों (ट्रान्जेक्शन) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(2) निर्वाचन अधिनियम की धारा 17 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाणपत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके सामने रद्द हो जायेंगी।

(क) किन्तु, चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय में अपेक्षित तलाशी अपने परसन सत्यापनी से की है। फिर भी, विभाग प्रमाणपत्र में लिये गये तलाशी परिणाम की किसी त्रुटि के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(ख) और, चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूंकि उसके द्वारा ढूंढे गये संव्यवहारों और अवधारों को सत्यापन के बाद प्रमाण–पत्र में दिया गया है। इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न ढूंढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों की पक्ष के किसी किसी_____ उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

बिहार गवर्नमेंट प्रेस, गया।

अनुसूची 21 – प्रपत्र संख्या 113

सम्पत्ति–अवभार प्रमाणपत्र

प्रमाण पत्र सं० 400/19 19 आवेदन सं० 401/19

चूंकि श्री संजय कुमार पिता स्व० हरीहर प्र० शर्मा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा नवादा किया है कि निम्नलिखित सम्पत्ति के संबंध में चिन्हित और दावेदारोंका अविवरण प्रमाण पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले सम्पदाओं और सबभारों के बारे में वही 1 में और उससे सम्बद्ध अनुश्रवियों में ता० 1990 to से ता० 5.8.19 20 तक सरकारी सम्पत्ति और पंजी सम्बन्धी के साथ निम्न सम्भवहारों और अवधारों का पता चला है–

क्रम संख्या	(क) सम्पत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं०	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मौजा	थाना	खाता	प्लॉट	रकबा				
नवादा	367	74	3106	0.05½				
				0.05½				

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) 1. ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। जिससे कि इसके बारे में उल्लेख हो।

2. अवधि और वार्षिक ब्याज दर्ज करें।

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि सारांश–पत्र संव्यवहारों और अक्षभार में दिए गए अक्षत सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अक्षभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण पत्र तैयार किया :–

(हस्ताक्षर) :– Shiv Ranjan Sinha

(पदनाम) :– निम्न वर्गीय लिपिक

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जांच निम्न व्यक्ति ने की

(हस्ताक्षर) :–

(पदनाम) :– उच्च वर्गीय लिपिक

कार्यालय :– जि० अ० नि० नवादा

तारीख 10 - 8 · 2019 मुहर

कार्यालय जिला अवर निबंधक सत्यमेव जयते नवादा

शुद्धिपत्र
ज्ञा(प) पी) 620/

जि० अ० नि० नवादा
10-8-19

निबंधन पदाधिकारी के हस्ताक्षर

टिप्पणी :– इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहारों और अक्षभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा सभी प्रस्तुत सम्पत्ति विवरण के अनुसार किये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसे दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहारों (ट्रान्जेक्शन) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(ख) निबन्धन अधिनियम की धारा 17 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अक्षभारों के प्रमाणपत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके सामने रख्द हो जायेंगी।

(ग) किन्तु, चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय में अपेक्षित तलाशी अपने परतन सहायकों से की है। फिर भी, निबंधन प्रमाणपत्र में लिये गये तलाशी परिणाम की किसी चुक के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(घ) और, चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूंकि उसके द्वारा ढूँढे गये संव्यवहारों और अक्षभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण–पत्र में दिया गया है। इसलिए निबंधन आवेदक द्वारा न ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अक्षभारों की वजह से किसी किसी उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

बिहार गवर्नमेंट प्रेस, गया।

398/19

अनुसूची 21 – प्रपत्र संख्या 113

~~398/19~~ सम्पत्ति–अवभार प्रमाणपत्र

प्रमाण पत्र सं0 ..... 19 ..... सं0 399/20 19

चूंकि श्री शैलेश कुमार पिता स्व0 हरिहर प्र0 शर्मा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा जवाद किया है कि निम्नलिखित सम्पत्ति के संबंध में चिन्हित और दावेदारोंका अविवरण प्रमाण पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले सम्पदाओं और सवभारों के बारे में वही 1 में और उससे सम्बद्ध अनुश्रवियों में ता0 1990 से ता0 5.8.19 20 तक सरकारी सम्पत्ति और पंजी सम्बन्धी के साथ निम्न सम्भवहारों और अवधारों का पता चला है:–

क्रम संख्या	(क) सम्पत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं0	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मौजा जवाद	थाना 367	खाता 74	प्लॉट 3106	रकबा 0.05½				
				0.05½ 8/0				

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) 1. ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। जिससे कि इसके बारे में उल्लेख हो।

2. अवधि और वार्षिक ब्याज दर्ज करें।

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि शपथ–पत्र संव्यवहारों और अवभार में दिए गए अयत्न सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारी और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की और प्रमाण पत्र तैयार किया :–

(हस्ताक्षर) :– Pair Ranjan Senha

(पदनाम) :– निम्न वर्गीय लिपिक

तलासी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जांच निम्न व्यक्ति ने की

(हस्ताक्षर) :– [signature]

(पदनाम) :– उच्च वर्गीय लिपिक

कार्यालय :– जि० अ० नि० नवादा

तारीख 10 - 8 - 2019 मुहर

शुल्क दिया
च(i)(ii) 620/-

कार्यालय जिला अवर निबंधक नवादा सत्यमेव जयते

जि० अ० नि० नवादा
10-8-19
निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी :– इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहारों और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा सभी प्रस्तुत सम्पत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं संपत्तियों को निबन्धित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसे दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहारों (ट्रान्जेक्शन) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(2) निबन्धन अधिनियम की धारा 17 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा किन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाणपत्रों की जरूरत हो उन्हें तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके सामने रद्द हो जायेगी।

(क) किन्तु, चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिए कार्यालय में अपेक्षित तलासी अपने परसन सावधानी से की है। फिर भी, विभाग प्रमाणपत्र में लिये गये तलासी परिभाग की किसी शुरू के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(ख) और, चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है और चूंकि उसके द्वारा ढूंढे गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण–पत्र में दिया गया है। इसलिए विभाग आवेदक द्वारा व ढूंढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की पक्ष के किसी किसी..... उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

बिहार गवर्नमेंट प्रेस, गया।